उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-05/2019/81/92-1-2019-122आरईएस/2004टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 10 जनवरी, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

श्री अनिल कुमार गर्ग, अधीक्षण अभियंता को उनके कनिष्ठ की मुख्य अभियंता स्तर-2 के पद पर पदोन्नति की तिथि 01-11-2018 से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के पद पर नोशनल पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, (वेतन बैण्ड-4, वेतनमान-37400-67000, ग्रेड पे-8900) (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13क) के पद पर वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्रीराज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते हैं।

2- चूँकि श्री गर्ग द्वारा नोशनल पदोन्नति एवं वास्तविक पदोन्नति के मध्य की अवधि में मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है, अतएव "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त पर श्री गर्ग को नोशनल पदोन्नति से वास्तविक पदोन्नति के मध्य की अवधि में की मुख्य अभियंता स्तर-2 का वेतन अनुमन्य नहीं होगा, किन्तु उक्त अवधि में वेतन निर्धारण का लाभ अनुमन्य होगा।

3- श्री गर्ग को अनुमन्य वेतन/मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते शासन शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार देय होंगे।

4- उक्त पदोन्नति, मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-31120/2016 राशिमणि मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाली अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

5- मुख्य अभियंता स्तर-2 के पद पर नियमित पदोन्नति के फलस्वरूप श्री गर्ग कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

6- मुख्य अभियंता स्तर-2 के पद पर तैनाती का आदेश पृथक से निर्गत किया जायेगा।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

वी0 के0 सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- 05/2019/81(1)/92-1-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
4- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- श्री अनिल कुमार गर्ग, मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/ कम्प्यूटर अंकन प्रति।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in